रजिस्ट्रो सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938

No. 388] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय

अधिसूचना

जम्मू, 21 अक्तूबर, 2016

सी.यू.जे./स्या.ये.-104/2016/1639.---निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

संविधि - 41

हीन, विद्यार्थी कल्याण

(कॅद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 27(2))

निम्नलिखित को संविधि 40 क के बाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में संविधि 41 के रूप में जोड़ा जाएगा

ढीन, विद्यार्थी कल्याण

- 41. (1) डीन, विद्यार्थी कल्याण की नियुक्ति कुलपति की अनुशंसा पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से की जाएगी जिसका पद एसोसिएट प्रोफेसर के पद से कम नहीं होगा।
 - (2) खंड (1) के अधीन नियुक्त डीन पूर्णकालिक अधिकारी होगा और तीन वर्ष का कार्यकाल होगा तथा पुनः—नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
 परन्तु कार्यकारी परिषद्, यदि ऐसा जरूरी समझे तो. कुलपित की अनुशंसा पर किसी अध्यापक जोकि एसोसिएट प्रोफेसर पद से कम नहीं हो, को उसकी ढयूटी के अलावा डीन, विद्यार्थी कल्याण के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्ति कर सकती है और ऐसी स्थिति में कार्यकारी परिषद् उसे उपयुक्त भत्ता देने की मंजूरी दे सकती है।
 - (3) डीन, विद्यार्थी कल्याण के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का उसके स्थायी पद पर पुनग्रहणाधिकार बना रहेगा और उन समी लामों के लिए योग्य होगा जो उसे तब प्रोद्मूत जब उसे डीन, विद्यार्थी कल्याण नहीं बनाया गया होता।
 - (4) जब डीन, विद्यार्थी कल्याण का पद खाली होता है अथवा जब डीन, विद्यार्थी कल्याण बीमारी की वजह से अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ रहता है तो उस पद के कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे इस प्रयोजन के लिए कुलपित द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
 - (5) डीन, विद्यार्थी कल्याण के कर्तव्य और शक्तियाँ अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

रख जाने वाल कान्यात Paper to be Laid on the Table of Lok Sabha/RajyaSabha

संविधि -5(संशोधित)

स्कृतों के दीन

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 27(2))

- 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की सॉवेधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे.
- 1. सॉवेबि 5(1) और 5(2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः
- 5 (1) प्रत्येक स्कूल की प्रोफेसरों में से विश्वता और/उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बारी—बारी से कुलपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु यदि स्कूल में केवल एक प्रोफेसर अधवा कोई प्रोफेसर नहीं हो तो स्कूल डीन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कुलपित उपयुक्त व्यवस्थाएं करेंगे। परन्तु यह भी कि डीन बासट वर्ष की उम्र होने तक इस पद पर रह सकते हैं।

(2) जब डीन का पद खाली होता है अथवा जब डीन बीमारी की वजह से अथवा अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ रहता है तो उस पद के कार्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जिसे इस प्रयोजन के लिए कुलपित द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

स्रविधि -- 11 (संशोधित)

कार्यकारी परिषद का संघटन

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 21(2) और खंड 27(2))

- 43. केन्द्रीय दिश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे;
 - 1. संविधि 11 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः

कार्यकारी परिषद का संघटन

n sedall arti no bat. I so of sage

- 11. (1) विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिवद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-
 - क) कुलपति;
 - ख) प्रो-क्लपति;
 - ग) सचिव; उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनका नामिती जिसका पद संयुक्त सचिव से कम नहीं होना चाहिए:
 - घ) अध्यक्त, यूजीसी अध्यवा उनका नामिती;
 - ड) राज्य सरकार के सचिव जो उच्चतर शिक्षा से संबंधित मामले देखते हैं;
 - वं) विजिटर द्वारा नामित शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट चार व्यक्तिः;
- छ) तीन प्रख्यात शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हों, कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुशासित पैनल में से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा;
 - ज) विजिटर द्वारा नामित कोर्ट का एक सदस्य;
 - इ) तीन डीन, अध्ययन स्कूल वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से;
 - त्र) एक प्रोफेसर, जो ढीन नहीं हो, वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से, कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा; और
 - ट) एक एसोसिएट प्रोफेसर जो डीन नहीं हो, वरिष्ठता के अनुसार बारी-बारी से जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।

कार्यकाल

(2) कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल, पदेन सदस्यों से इतर, तीन वर्ष होगा। परन्तु अध्ययन स्कूलों के डीनों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

कोरम

(3) गठित कार्यकारी परिषद के कुल सदस्यों के आधे कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए कोरम होगा।

संविध -13(संशोधित)

अकादमिक परिषद् का संघटन

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009; खंड 22(2) और खंड 27(2))

- 44. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे;
 - साँविधि 13 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः

अकादिमक परिषद का संघटन

- 13. (1) अकादमिक परिवद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:-
 - क) कुलपति

अध्यक्ष

- ख) प्री-कुलपति
- ग) डीन, अध्ययन स्कूल
- घ) डीन, विद्यार्थी कल्याण
- ङ) प्रोक्टर
- च) पुस्तकालयाच्यक्ष
- कोर्ट द्वारा नामित किए जाने वाले कोर्ट के चयनित सदस्यों में से कोर्ट का एक सदस्य,
- ज) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठता आधार पर तथा बारी-बारी से अध्ययन विमागों के दस प्रमुख।
- झ) कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले वरिष्ठता तथा बारी-बारी आधार पर पांच केन्द्र निदेशक, यदि कोई हाँ,
- ञ) दो प्रोफेसर, जो अध्ययन स्कूलों के डीन अथवा विभागों / केन्द्रों के प्रमुख और कार्यकारी परिवद के सदस्य नहीं हों, कुलपित द्वारा नामित किए जाने वाले.
- ट) दो एसोसिएट प्रोफेसर, जो उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) में शामिल नहीं हों, अथवा विमाग प्रमुख अथवा केन्द्र निदेशक नहीं हों अथवा जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, वरिष्ठता के अनुसार बारी—बारी से, कुलपित द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
- ट) दो सहायक प्रोफेसर, जो कार्यकारी परिषद् के सदस्य नहीं हों, वरिष्ठता के अनुसार बारी—बारी से, कुलपित द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- ड) दस सदस्य, जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हों, शैक्षणिक प्रगति, विकास तथा उद्योग से जुड़े विशेष ज्ञान वाले कार्यकारी परिषद् द्वारा सहयोजित।

कार्यकाल

(2) अकादिमक परिषद् के सभी सदस्यों, पदेन सदस्यों से इतर, का कार्यकाल तीन वर्ष रहेगा।

कोरम

(3) गठित अकादिमक परिषद् के कुल सदस्यों के आधे अकादिमक परिषद् की बैठक के लिए कोरम होगा।

संविधि -45(संशोधित)

केन्द्रों के निदेशकों की नियुक्ति

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009, खंड 27(2))

45. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की दूसरी अनुसूची में शामिल विश्वविद्यालय की संविधियों में, संविधि 15 के बाद, संविधि 15क और 15ख रूप में निम्नालिखत जोड़ा जाएगा:

क्रवयन केन्द्र

- 15A (क) विश्वविद्यालय में विभिन्न स्कूलों के अधीन अध्ययन केन्द्र होंगे जो संविधि 15 के खंड (5) के प्राक्यान के अनुसार स्थापित किए गए हों।
 - (ख) अध्ययन केन्द्र अंतर—शिक्षण को सुगम बनाने और प्रोत्साहित करने तथा महत्वपूर्ण शोध क्षेत्रों में कार्य करने के लिए भौतिक और बौद्धिक स्थान प्रदान करेंगे।
 - (ग) सामान्यतः केन्द्रों में पूर्णकालिक संकाय नहीं होगी परन्तु अंतर-शिक्षण / महत्वपूर्ण क्षेत्र शोध में इच्छुक विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों से संकाय सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा यथा निर्धारित ऐसी निबंधन एवं शतौं पर केन्द्रों में रखा जा सकता है। एक केन्द्र में अतिथि फेलो, स्कॉलर इन रेजीडेंस, आधिक्य संकाय होगी।

केन्द्रों के निदेशक

15B (क) प्रत्येक केन्द्र में एक केन्द्र निदेशक होगा जिसे कुलपति द्वारा प्रोफेसरों में से नियुक्त किया जाएगा और वरिष्ठता और/अधवा उपयुक्तता को ध्यान में स्खते हुए बारी—बारी आधार पर केन्द्र में रखा जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्र में केवल एक प्रोफंसर हो तो केन्द्र का निदेशक प्रोफंसरों में से वरिष्ठता और/अथवा उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बारी-बारी आघार पर वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफंसर को नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि केन्द्र में कोई प्रोफेसर नहीं रखा गया हो तो निदेशक वरिष्ठता और/अथवा उपयुक्तता को घ्यान में रखते हुए बारी—बारी आधार पर एसोसिएट प्रोफेसरों में से नियुक्त किया जाएगा।

परन्तु यह मी कि यदि कोई प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर नहीं हो तो केन्द्र में संबद्ध स्कूल का डीन केन्द्र के निदेशक के रूप में कार्य करेगा।

मोहमद इकबाल, प्रमारी रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-111 / 4 / असा. / 279 / 16(383)]

CENTRAL UNIVERSITY OF JAMMU NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2016

CUJ/Estab.T.104/2016/1639.—The following is published for general information :-

STATUTE - 41

DEAN OF STUDENTS' WELFARE

(The Central Universities Act, 2009; Section 27(2))

The following shall be added as Statute 41 to the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009, after Statute 40.

Dean of Students' Welfare

- 41. (1) The Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, not below the rank of Associate Professor, by the Executive Council on the recommendation of the Vice Chancellor.
 - (2) The Dean appointed under clause (1) shall be a whole-time officer and shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.
 - Provided that the Executive Council may, if it is considered necessary appoint, on the recommendation of the Vice Chancellor, a teacher, not below the rank of Assocaite Professor, to discharge the duties of the Dean of Students' Welfare in addition to his/her duties as such teacher and in such a case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him/her.
 - (3) A person who is appointed as a Dean of Students' Welfare shall continue to hold his/her lien on his substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him/her but for his/her appointment as the Dean of Students' Welfare.
 - (4) When the office of Dean of Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his/her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint for the purpose.
 - (5) The duties and powers of Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances.

STATUTE - 5 (AMENDED)

DEANS OF SCHOOLS

(The Central Universities Act, 2009; Section 27(2))

- 42. The following amendments shall be made in the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009;
- Statutes 5(1) and 5(2) shall be substituted as under:
- 5 (1) Every Dean of the School shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors of the School on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability for a period of three years.
 - Provided that in case there is only one Professor or no Professor in a School, the Vice Chancellor shall make suitable arrangements to discharge the duties of the Dean of the School.

Provided further that a Dean on attaining the age of sixty five years shall cease to hold office as such.

(2) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be discharged by a person so appointed by the Vice Chancellor.

STATUTE - 11 (AMENDED)

CONSTITUTION OF THE EXECUTIVE COUNCIL

(The Central Universities Act, 2009; Section 21(2) and Section 27(2))

- 43. The following amendments shall be made in the Statues of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009.
 - 2. Statute 11 shall be substituted as under:

Constitution of Executive Council

- 11. (1) The Executive Council of the University shall consist of the following members:
 - a) Vice-Chancellor;
 - b) Pro-Vice-Chancellor;
 - Secretary, Department of Higher Education, MHRD, GoI or his/her nominee not below the rank of Joint Secretary;
 - d) Chairman, UGC or his/her nominee;
 - e) Secretary of the State Government dealing with matters relating to Higher Education;
 - f) Four persons of distinction in academics to be nominated by the Visitor;
 - g) Three eminent academicians not in the service of the University, to be nominated by the MHRD from amongst a panel recommended by the Executive Council;
 - h) One member of the Court nominated by the Visitor;
 - i) Three Deans of Schools of Studies by rotation according to seniority;
 - j) One Professor, who is not a Dean, by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice-Chancellor; and
 - k) One Associate Professor who is not a Dean, by rotation according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor.

Term of office

(2) Term of office of the members of the Executive Council, other than the ex-officio members, shall be three years.
Provided that the term of office of Deans of Schools of Studies shall be for three years.

Quorum

(3) Half of the total members of the constituted Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

STATUTE - 13 (AMENDED)

CONSTITUTION OF THE ACADEMIC COUNCIL

(The Central Universities Act, 2009; Section 22(2) and Section 27(2))

44. The following amendments shall be made in the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009.

Statute 13 shall be substituted as under:

Constitution of Academic Council

- 13. (1) The Academic Council shall consist of the following members:
 - a) The Vice Chancellor
- Chairman
- b) The Pro-Vice Chancellor
- c) Deans of Schools of Studies
- d) Dean of Students Welfare
- e) Proctor
- f) Librarian
- g) One member of the Court from amongst the elected members of the Court to be nominated by the Court,
- h) Ten Heads of teaching departments on the basis of seniority and rotation to be nominated by the Vice Chancellor,
- Five Directors of Centres, if any, on the basis of seniority and rotation, to be nominated by the Vice Chancellor
- j) Two Professors, who are not Deans of Schools of Studies or Heads of the Departments/Centres and are not members of the Executive Council, from each School, on the basis of seniority and rotation, to be nominated by the Vice Chancellor.
- k) Two Associate Professor, who are not covered in (c), (d) and (e) above, or not Heads of the Departments or not Directors of Centres or who are not members of the Executive Council, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice Chancellor.
- Two Assistant Professor, who are not members of the Executive Council, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice Chancellor.
- m) Ten persons, not in the service of the University, co-opted by the Academic Council for their special knowledge in educational progress, development and industry linkage.

Term of office

(2) All members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of three years.

Quorum

(3) Half of the total members of the constituted Academic Council shall form the quorum for the meeting of the Academic Council.

STATUTE - 45 (AMENDED)

APPOINTMENT OF DIRECTORS OF THE CENTRES

(The Central Universities Act, 2009; Section 27(2))

45. The following shall be added as Statutes 15A and 15B, after Statute 15, to the Statutes of the University contained in the Second Schedule to the Central Universities Act, 2009

Centres of Studies

- 15A (a) The University shall have such Centres of Studies under different Schools as may be established in accordance with proviso to clause (5) of Statute 15.
 - (b) The Centres of Studies shall provide physical and intellectual space to facilitate, undertake and promote inter-disciplinary and thrust area research.
 - (c) Normally the Centres shall not have full-time faculty but faculty members from different departments of the Universities interested in inter-disciplinary/thrust-area research may be placed in such Centres on

such terms and conditions as determined by the University. A Centre may have Visiting Fellow, Scholar in Residence, Adjunct Faculty.

Directors of Centres

Each Centre shall have a Director of the Centre, who shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Professors placed in the Centre on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability.

Provided that if a Centre has only one Professor, the Director of the Centre shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability.

Provided further that if a Centre has no Professor placed in it, the Director shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation with due regard to seniority and/or suitability.

Provided also that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Centre, the Dean of the School concerned shall act as Director of the Centre.

MOHAMMAD IQBAL, I/C Registrar [ADVT.-III/4/Exty./279/16(383)]